

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.नि./2017/ 2525 जयपुर,दिनांक: 21/6/17

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

| क्र.सं. | नाम पंचायत प्रसार अधिकारी | वर्तमान पस्थापित स्थान | सेवानिवृत्ति तिथि |
|---------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | श्री बाबू लाल जाट | पं.स. हिण्डोन (करौली) | 30.06.2017 |
| 2 | श्री परशुराम शर्मा | पं.स. हिण्डोन (करौली) | 31.08.2017 |
| 3 | श्री प्रेमराज मारु | कार्यालय जिला कलेक्टर पाली | 31.10.2017 |
| 4 | श्री रेशमपाल सिंह मीणा | पं.स. सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) | 31.12.2017 |
| 5 | श्री सोहन लाल पुरोहित | पं.स. बेगू (चित्तौड़गढ़) | 31.12.2017 |
| 6 | श्री पुरणमल पाराशर | पं.स. सलुम्बर (उदयपुर) | 31.01.2018 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध (क्रम संख्या 1 को छोड़कर) आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(हेमन्त स्वरूप माथुर)

शासन उप सचिव (जाँच)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर पाली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली, पाली, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस विभाग को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पं.स. हिण्डोन (करौली), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर), बेगू (चित्तौड़गढ़), सलुम्बर (उदयपुर)
5. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव (जाँच)